

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2007/ज्येष्ठ 25, 1929

No. 726]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2007/JYAISTHA 25, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2007

क्र.आ. 981(अ)—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972.का 53) की धारा 38ठ की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 सितंबर, 2009 तक की अवधि के लिए नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1403(अ), तारीख 4 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|--|----------|
| 2क. | श्री सिलवियस कॉडपन
संसद् सदस्य (राज्य सभा) | —सदस्य |
| 2ख. | डॉ. सुजान चक्रवर्ती
संसद् सदस्य (लोक सभा) | —सदस्य |
| 2ग. | श्री विजयेन्द्र पॉले सिंह
संसद् सदस्य (लोक सभा) | —सदस्य"; |

(ii) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

2794 GI/2007

(1)

- "25. डा. संजय सिंह
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
विधायी विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय

—सदस्य"।

[फा. सं. 6(4)/2005-पी टी]

जी. बालाचन्द्रन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 1403(अ), तारीख 4 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्वी संशोधन सं. का.आ. 1889(अ), तारीख 2 नवंबर, 2006 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2007

S.O. 981(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the following persons as members in the National Tiger Conservation Authority for a period up to 3rd September, 2009 with effect from the date of publication of this notification, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely:—

In the said notification,—

(i) after serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

- 2A. Shri Silvius Condpan —Member
Member of Parliament (Rajya Sabha)
- 2B. Dr. Sujan Chakraborty —Member
Member of Parliament (Lok Sabha)
- 2C. Shri Vijayendra Pal Singh —Member";
Member of Parliament (Lok Sabha)

(ii) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

25. Dr. Sanjay Singh, —Member"
Joint Secretary and Legislative
Counsel, Legislative Department,
Ministry of Law and Justice.

[F. No. 6(4)/2005-PT]

G. BALACHANDHARAN, Jt. Secy.

Note :—The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006 and subsequently was amended vide number S.O. 1889(E), dated the 2nd November, 2006.